(ii) विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे 549 मामलों में से अभी तक 73 मामलों पर निर्णय लिया गया है:—

(1) दंडित अधिकारी —77
(2) दोषमुक्त अधिकारी —32

(iii) 31-12-92 की स्थिति के अनुसार 908 मामले विचारण नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये लंबित थे।

(ग) उपर्युक्त दंडित कर्मचारियों में अखिल भारतीय सेवा का कोई भी अधिकारी नहीं था।

भारत सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

3049. **श्री मलखन्द भीगा :**
श्री मुहम्मद मसूद खान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के अधीन विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी कार्यरत थे ;

(ख) क्या जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सामान्य वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) :

(क) 1-1-92 की स्थिति के अनुसार सूचना निम्न प्रकार है:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	6331	1914
समूह ख	11399	2349
समूह ग	368494	73739
समूह घ	242495	78375
सफाई कर्मचारी	90399	4765

1-1-93 (31-12-92) की स्थिति के अनुसार सूचना अभी तक समेकित नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) सामान्यतः जाति प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूचना तथा ततविषयक शिकायतें विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारी प्राप्त करते हैं तथा उन पर कार्रवाई करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत अनुदेश नियोक्ता प्राधिकारियों को पहले ही जारी किये जा चुके हैं। सभी प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरंभिक नियुक्ति के समय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति स्तर का सत्यापन कर लें । यदि कोई नियोक्ता प्राधिकारी किसी कारणवश उस स्थान के जहां पर उम्मीदवार अथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता है, जिला मजिस्ट्रेट से उम्मीदवार के दावे को सत्यापित करना आवश्यक समझता है तो कर सकता है । यदि किसी मामले विशेष में नियुक्ति के पश्चात सत्यापन से यह पता चलता है कि उम्मीदवारों का दावा झूठा था, तो संगत नियमों/आदेशों के अनुसार उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

जैसा कि झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के उदाहरण सरकार के सम्मने आये, इसलिये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24-4-90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88-स्था० (अनु०जा०) में एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की गई । इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण [illegible] ।

विवरण

संख्या 36012/6/88-स्था० (अनु० जा०) एस०आर०डी०-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय.—उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति।

सरकार की जानकारी में ऐसे मामले लाए गए हैं जिनमें उम्मीदवारों ने अनु० जाति/अनु० जन जाति होने के झूठे जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं और अनु०जाति/अनु०जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। ऐसे अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं जिनमें यह व्यवस्था है, कि जिन उम्मीदवारों ने अनु०जाति/अनु० जनजाति का होने का दावा किया है यदि उनके दावे बाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने पर झूठे पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

2. इस समय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों के अनु०जाति/अनु०जनजाति के होने के दावों के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

मैट्रिक अथवा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा उम्मीदवार की जाति/समुदाय और उसके निवास स्थान को दर्शाने वाला जन्म प्रमाण-पत्र।

3. अब यह निर्णय किया गया है कि आगे से उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय जाति प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा अनु०जाति/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण संबंधी विवरणिका (सातवां संस्करण) के परिशिष्ट–14 में निर्धारित फार्म में, जारी किए जाए, जाति/जन जाति प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा।

(1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलक्टर प्रथम श्रेणी वेतन भोगी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(2) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम का न हो।

(4) उस क्षेत्र का उप-प्रभाग अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता हो।

4. यह भी निर्णय किया गया है कि इसके आगे नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का दावा करने वाले उम्मीदवार के नियुक्ति प्रस्तावों में निम्नलिखित आशय की एक धारा सम्मिलित करें :—

"यह नियुक्ति अस्थाई है और जाति जनजाति प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किए जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किए जाने पर अनु० जाति अथवा जनजाति जैसा भी मामला हो का दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में भारतीय दण्डसंहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जाएगी।

5. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए नोट कर लें।"

हस्ताक्षर
(ए०के० हरित)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालयों/विभागों को।